सीजीएसटी लुधियाना ने लोहा एवं इस्पात विनिर्माण क्षेत्र में 54 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले का खुलासा किया; एक को किया गिरफ्तार

लुधियाना, 5 दिसंबर 2025: विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, लुधियाना के अधिकारियों ने 4 दिसंबर को मंडी गोबिंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब, में कई जगह छापे मारे, जहां 54 करोड़ रुपए के विशाल जीएसटी घोटाले का पता चला। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 300 करोड़ के नकली जीएसटी इनवॉइस का लाभ उठाया और ऐसे अवैध इनपुट टेक्स क्रेडिट (ITC) का उपयोग जीएसटी देयता को सेटऑफ करने के लिए किया, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। यह कंपनी लोहा एवं इस्पात सम्बन्धी उत्पादों के विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत थी।

छापेमारी के बाद, कंपनी के एक मुख्य व्यक्ति को सेन्ट्रल जीएसटी एक्ट, 2017 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया।

फिलहाल, जांच जारी है ताकि नेटवर्क की पूरी सीमा का पता लगाया जा सके और अन्य शामिल संस्थाओं की पहचान की जा सके।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, लुधियाना, ईमानदार करदाताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और कर धोखाधड़ी का पता लगाने की अपनी प्रतिबद्धता दोबारा व्यक्त करता है।

****